कार्यालय चैयरमैन, नीट यूजी (मेडिकल/डेन्टल) प्रवेश मण्डल–2024 एवं प्रधानाचार्य सवाई मानसिह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक, संलग्न चिकित्सालय, जयपुर (राजस्थान)

फोन.नं.– 0141–2619020 फैक्सनं.– 0141–2619171 ई.मेल–officeprincipalsmsmc@gmail.com

क्रमांकःएफ(10)/एमसी/शैक्षणिक/स्टेट–यूजीकाउसलिंगबोर्ड–2024/6055 दिनांक : 13/11/24

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एकल पीठ द्वारा दिनांक 08.10.2024 को रिट याचिका संख्या 12053/2024 में पारित निर्णय की पालना में पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल उदयपुर को 100 अतिरिक्त सीटें बोर्ड द्वारा प्रोविजनल आवण्टित की गई थी, जिनका आवण्टन स्पष्ट रूप से कोर्ट ऑर्डर सीट्स वर्णित करते हुए किया गया था तथा उक्त सीटों पर किये गये आवण्टन एवं जोईनिंग को माननीय उच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली डी.बी. स्पेशल अपील के निर्णय के अध्यधीन रखा गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1032/2024 में दिनांक 05.11.2024 को पारित अंतरिम आदेश की पालना में पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल, भीलों का बेदला, उदयपुर में जिन अभ्यर्थियों द्वारा एकल पीठ के आदेश की अनुपालना में प्रवेश लिया गया था उनके प्रवेश तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल, भीलों का बेदला, उदयपुर को यह निर्देशित किया जाता है कि कोर्ट ऑर्डर से प्रवेशित अभ्यर्थियों को कक्षा में प्रवेश एवं उपस्थित नहीं करने दिया जावे। पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हास्पीटल, भीलों का बेदला, उदयपुर में एमबी.बी.एस. विधार्थियों की कुल सीटे 150 तक ही सीमित रहेंगी। यह आदेश खण्डपीठ याचिका के आदेश के अधीन होगा।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अंतरिम आदेश की पालना में संबंधित कोई अभ्यर्थी यदि काउंसलिंग बोर्ड को जमा कराई गई अपनी एक वर्ष की ट्यूशन फीस वापस प्राप्त करना चाहता है तो वह इस बाबत चैयरमेन नीट यूजी 2024 को व्यक्तिशः आवेदन कर प्राप्त कर सकता है।

Deepak Maheshwari

चैयरमैन
नीट यू.जी. काउंसलिंग बोर्ड 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधानाचार्य पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल उदयपुर।
2. सचिव, नेशनल मेडिकल कमिशन, नई दिल्ली।

sd/-

चैयरमैन
नीट यू.जी. काउंसलिंग बोर्ड 2024